



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 21 दिसम्बर, 2021

अग्रहायण 30, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1086/79-वि-1-21-1-क-36-21

लखनऊ, 21 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश विनियोग (2021-2022 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2021 जिससे वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 2021 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश विनियोग (2021-2022 का द्वितीय अनुपूरक) अधिनियम, 2021

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 2021)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (2021-2022 का द्वितीय अनुपूरक) संक्षिप्त नाम अधिनियम, 2021 कहलायेगा।

2-ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 2022 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 8479,53,00,000 रुपये (रुपये आठ हजार चार सौ उनासी करोड़ तिरपन लाख मात्र) होता है, से अधिक न हो।

उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से वर्ष 2021-2022 के लिए 8479,53,00,000 रुपये का दिया जाना

विनियोग

3-इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का प्राधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

**अनुसूची**  
(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2	3			
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)			
क्रम संख्या		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारत	योग	
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	172250.00	--	172250.00
		पूंजी :	166000.00	--	166000.00
22	खेल विभाग	राजस्व :	1000.00	--	1000.00
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन- सड़कें)	पूंजी :	1.00	--	1.00
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व :	400000.00	--	400000.00
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	10000.00	--	10000.00
79	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व :	16700.00	--	16700.00
80	समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व :	67000.00	--	67000.00
86	सूचना विभाग	राजस्व :	15000.00	--	15000.00
92	संस्कृति विभाग	राजस्व :	2.00	--	2.00
	योग :	राजस्व :	681952.00	--	681952.00
		पूंजी :	166001.00	--	166001.00
	महायोग :		847953.00	--	847953.00

## उद्देश्य और कारण

संविधान के अनुच्छेद 204 के साथ पठित अनुच्छेद 205 के अधीन विधान सभा द्वारा अनुपूरक अनुदानों की मांगें स्वीकृत किये जाने के बाद, राज्य विधान मण्डल में एक विनियोग विधेयक पुरःस्थापित करना आवश्यक है।

यह विधेयक इस बात की व्यवस्था करता है कि वित्तीय वर्ष 2021-2022 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुपूरक अनुदानों तथा राज्य की समेकित निधि पर भारित अनुपूरक व्ययों के लिये जो धन अपेक्षित है, उसका विनियोग उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से हो सके।

तदनुसार उत्तर प्रदेश विनियोग (2021-2022 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2021 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,  
अतुल श्रीवास्तव,  
प्रमुख सचिव।

No. 1086(2)/LXXIX-V-1-21-1-ka-36-21

*Dated Lucknow, December 21, 2021*

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Viniyog (2021-2022 Ka Dwitiya Anupoorak) Adhiniyam, 2021 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 31 of 2021) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 21, 2021. The Vitti (Aay-Vyayak) Anubhag-2 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH APPROPRIATION  
(SECOND SUPPLEMENTARY 2021-2022) ACT, 2021  
(U.P. Act no. 31 of 2021)

*[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]*

AN

ACT

*to provide for authorising payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State to the services for the year ending on thirty-first day of March, 2022.*

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:-

- |  |   |
|--|---|
| 1. This Act may be called the Uttar Pradesh Appropriation (Second Supplementary 2021-2022) Act, 2021.  | Short title   |
| 2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column-3 of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Rs. 8479,53,00,000 (Rs. eight thousand four hundred seventy nine crore fifty three lac only) towards defraying the several charges which will come in course of payment during the year ending on the thirty-first day of March, 2022 in respect of the services and purposes specified in column-2 of the Schedule. | Issue of Rs. 8479,53,00,000 out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh for the year 2021-2022 |
| 3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the year ending on the thirty-first day of March, 2022.   | Appropriation   |

## SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

1	2	3			
Grant/Serial	Services and purposes	Sums not exceeding			
		(In lakhs)			
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated fund of the State	Total	
09	Power Department	Revenue :	172250.00	--	172250.00
		Capital :	166000.00	--	166000.00
22	Sports Department	Revenue :	1000.00	--	1000.00
58	Public Works Department (Communications-Roads)	Capital :	1.00	--	1.00
76	Labour Department (Labour Welfare)	Revenue :	400000.00	--	400000.00
78	Secretariat Administration Department	Revenue :	10000.00	--	10000.00
79	Social Welfare Department (Empowerment Of The Handicapped & Welfare Of Backward Classes)	Revenue :	16700.00	--	16700.00
80	Social Welfare Department (Social Welfare & Welfare of Scheduled Castes)	Revenue :	67000.00	--	67000.00
86	Information Department	Revenue :	15000.00	--	15000.00
92	Culture Department	Revenue :	2.00	--	2.00
Total :		Revenue :	681952.00	--	681952.00
		Capital :	166001.00	--	166001.00
Grant Total :			847953.00	--	847953.00

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under Article 205 *read* with Article 204 of the Constitution, an Appropriation Bill has to be introduced in the State Legislature after demands for Supplementary Grants have been voted by the Legislative Assembly.

This Bill provides for the appropriation out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh of all moneys required to meet the Supplementary Grants made by the Uttar Pradesh Legislative Assembly and the Supplementary expenditure *Charged* on the Consolidated Fund of the State in respect of the financial year 2021-2022.

The Uttar Pradesh Appropriation (Second Supplementary 2021-2022) Bill, 2021 is introduced accordingly.

By order,  
ATUL SRIVASTAVA,  
*Pramukh Sachiv.*

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 476 राजपत्र-2021-(1086)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 137 सा0 विधायी-2021-(1087)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।